प्रकरण संख्या 41/2020 GCMS ID-2020/00137 ता0रजु 26.11.2020

(3)

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

शाकिर खान उम्र 30 साल पुत्र उमरदीन जाति मुसलमान निवासी नीलगर वाली गली, वार्ड नं. 41 (वर्तमान) नगर परिषद हिण्डौन, निवर्तमान पार्षद नगर परिषद, हिण्डौन वार्ड नं. 32 (हाल वार्ड नं. 41) हिण्डौनसिटी जिल करौली – अपीलाण्ट

बनाम

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, तहसीलदार, हिण्डौनसिटी जिला करौली राज. – रेस्पोण्डेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी तहसीलदार हिण्डौन सिटी बाबत् नगर परिषद हिण्डौन के वार्ड नं. 41 की निर्वाचक नामावली 2020 में दिनांक 23.11.2020 को दूसरे वार्डों के निवासियों के नाम चुनाव को प्रभावित करने के लिये, असमयक असर में आकर हाल वार्ड नं. 41 की निर्वाचक नामावली में परिवर्धन सूची जोड कर क्रम सं. 735 से 806 तक विधि विरुद्ध रूप से जोड़े गये हैं।

निर्णय

दिनांक 01.12.2020

यह अपील राजस्थान नगरपालिका मतदाता पंजीकरण आदेश 1974 की धारा 17 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नगर परिषद हिण्डौन सिटी के वार्ड नं. 32 का हाल परिसीमन कर हाल ही वार्ड 41 बनाया गया है जिसकी मतदाता सूची में परिवर्धन सूची जोड़कर मतदाता क्रमांक 735 से 806 तक मतदाताओं के नाम जोड़े गये हैं जिनके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। प्रत्यर्थी से टिप्पणी/अपीलोत्तर प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अपीलाण्ट वर्तमान में वार्ड नं. 32 हाल 41 नगर परिषद हिण्डौन का निवर्तमान पार्षद है। उक्त वार्ड का परिसीमन कर हाल ही में नवीन वार्ड संख्या 41 कायम किया है, जिसमें करीब 700 मतदाता दिनांक 23.11.2020 से पूर्व रहे हैं, लेकिन सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, तहसीलदार हिण्डौन सिटी जिला करौली द्वारा निर्वाचन नामावली 2020 में निर्वाचन नामावली तैयार करने के समस्त नियम, कानून व प्रावधानों को बिना किसी साक्ष्य व सबूत के, राजनैतिक दबाब के असमयक असर में आकर मतदाता सूची में क्रम संख्या 735 से 740 तक वार्ड नं. 8 के लोगों को, क्रम संख्या 741 से 746 तक वार्ड नं. 15 के लोगों को, क्रम संख्या 747 पर दुब्बे पाड़ा की महिला को, क्रम संख्या 748 से 753 तक वरपाड़ा वार्ड नं. 26 व 29 के, क्रम संख्या 754 पर वार्ड नं. 41 के, क्रम संख्या 755 से 758 पर वार्ड नं. 34 के, क्रम संख्या 759 से 780 तक वार्ड नं. 27 के, क्रम संख्या 781 से 794 तक वार्ड नं. 27 के, क्रम संख्या 795 से 806 तक वार्ड नं. 23 व 27 के ऐसे लोगों का नाम गलत तौर से जोड दिया है, जो कि मेरे वार्ड नं. 41 के निवासी नहीं हैं, ना ही उनके कोई परिवारजन वार्ड में निवास करते है, वर्तमान में वार्ड में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लोगों के उक्त लोग अधिकांशतः रिश्तेदार या नजदीकी मिलने वाले है, जिन्होने सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी तहसीलदार हिण्डौनसिटी जिला करौली पर असमयक असर एवं प्रभाव का उपयोग कर दबाब बनाकर उनका नाम चुनाव निर्वाचक नामावली में विधि विरुद्ध रूप से परिवर्धन सूची के तौर पर जुडवाया है, वर्तमान चुनाव उक्त अवैध मतदाताओं के नाम नाम जोड़ने से प्रभावित होने की पूर्ण संभावना है, जिनके नाम निर्वाचक नामावली वार्ड नं. 41 से पृथक कर, पूर्व के स्थान पर वार्डों में ही रखा जाना न्याय संगत है। इसलिये गलत तौर पर जोडे गये नामों की जानकारी मतदाता सूची के दिनांक 23.11.2020 को अंतिम प्रकाशन के बाद होने से उक्त अपील हाजा अंदर मियाद पेश है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
करौली

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी(तहसीलदार), हिण्डौनसिटी ने पत्रांक–चुनाव/2020/एस.पी.–1 दिनांक 26.11.2020 एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी(एस.डी.एम.), हिण्डौनसिटी ने पत्रांक–चुनाव/2020/449 दिनांक 26.11.2020 से अवगत करवाया है कि अपीलाण्ट द्वारा निर्वाचक नामावली 2020 में सम्मिलित किये गये नाम क्रम संख्या 735 से 740, 741 से 746, 747, 748 से 753, 754, 755 से 758, 759 से 780, 781 से 794, 795 से 806 तक के नामों के विरुद्ध वार्ड नं. 41 में शामिल करने पर अपील की गई है। उक्त समस्त नाम आवेदकों द्वारा प्ररूप 3 में विभिन्न वार्डों से अपने नामों को हटाकर वार्ड संख्या 41 में अपने नामों को शामिल करने हेतु दिनांक 13.11.2020 को व उससे पूर्व स्वयं के द्वारा आवेदन किये गये थे जिनकी जांच भू.अ.नि. हिण्डौन एवं पटवारीगण हिण्डौन की तीन सदस्यीय टीम द्वारा करवाई गई थी जिसमें इन व्यक्तियों द्वारा मामूली तौर पर वार्ड नं. 41 में निवास करने के कारण इनके नाम जोड़ने के आवेदन नियमानुसार सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (तहसीलदार) हिण्डौन द्वारा स्वीकृत कर नियमानुसार वार्ड नं. 41 की मतदाता सूची में शामिल किये गये हैं जो मतदाता सूची के दिनांक 22.11.2020 के प्रकाशन में सम्मिलित हैं। उक्त नामों को प्रार्थीगण के आवेदन पत्र व जांच के अनुसार ही स्वीकार किया गया है। इसमें किसी प्रकार के राजनीतिक दबाब का आक्षेप पूर्णतः असत्य है। अपीलार्थी का यह कथन भी असत्य है कि प्रार्थीगण के आवेदन दिनांक 23.11.2020 के पश्चात् लिये गये हैं। इस प्रकार तीन सदस्यीय टीम द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आवेदनकर्ताओं के स्वयं के आवेदन पर नाम जोड़े गये हैं जो कि नियमानुसार सही हैं। अपीलार्थी द्वारा अपील में अंकित तथ्य असत्य होने से अपील खारिज योग्य है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। वार्ड नं. 32 नगर परिषद हिण्डौन सिटी का हाल ही परिसीमन किया जाकर वार्ड नं. 41 बनाया गया है। अपीलाण्ट का कथन है कि वार्ड नं. 32 हाल 41 नगर परिषद हिण्डौन सिटी में 23.11.2020 से पूर्व करीब 700 मतदाता रहे हैं एवं दिनांक 23.11.2020 के पश्चात् आवेदन लिये जाकर वार्ड संख्या 32 हाल 41 नगर परिषद हिण्डौन सिटी की मतदाता सूची में क्र.सं. 735 से 806 तक के नाम शामिल किये गये हैं। अपीलार्थी द्वारा स्वयं इस तथ्य का कथन किया गया है कि दिनांक 23.11.2020 को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन उपरांत उक्त जोड़े गये नामों के बारे में जानकारी हुई है। साथ ही मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 22.11.2020 को ही हो गया था जिसमें उक्त नाम सम्मिलित हैं। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार) हिण्डौन सिटी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) हिण्डौन सिटी द्वारा अवगत करवाया गया है कि उक्त मतदाताओं द्वारा वार्ड संख्या 32 हाल 41 नगर परिषद हिण्डौन सिटी की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु स्वयं आवेदन किये गये हैं जिनकी जांच तीन सदस्यीय टीम द्वारा करवाई गई है। उक्त मतदाताओं द्वारा वार्ड संख्या 32 हाल 41 नगर परिषद हिण्डौन सिटी में मामूली तौर पर निवासरत पाये जाने पर उक्त मतदाताओं के नाम वार्ड संख्या 32 हाल 41 नगर परिषद हिण्डौन सिटी की मतदाता सूची में सम्मिलित किये गये हैं जिनमें किसी प्रकार का राजनीतिक दबाब नहीं रहा है। इस प्रकार अपील सारहीन, तथ्यहीन पायी गई है। अतः हम अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रत्यर्थी को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली